राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पहला दिवस [संख्या: 01

सोमवार,

05 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.54 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: आप न घणा-घणा मन सूं राम-राम सा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बधाई भी दो साहब।

श्री अध्यक्ष: बधाई दे चुके हैं हम, जिसको देनी थी। (व्यवधान) बैठिए।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव महोदय।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

सचिव, विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बोल रहे हैं ये? मतलब, सचिव रख रहे हैं पत्रादि सदन की मेज पर। हम लोग सुनना चाहते हैं कि कौनसे पत्रादि रख रहे हैं और आप देखिए, ये उप नेता हैं, प्रतिपक्ष के उप नेता का आचरण देखिये।

श्री अध्यक्ष: ये बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं माननीय विधायक रमेश, इनका एक भी शब्द नोट नहीं किया जाए, बिलकुल डिलीट किया जाए। अभी तक जो बोले, वह भी डिलीट करें। ये बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं, इसलिए एक भी शब्द नोट नहीं किया जाए। बिलकुल।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: हां, सचिव महोदय। बैठिये, बैठिये।

सचिव, राजस्थान विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के विगत...

श्री अध्यक्ष: आपका नोट नहीं हो रहा है, आप बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: आपका नोट नहीं हो रहा है, आप बैठिये। बैठिये, बैठिये। मिस्टर रमेश, बैठिये। आपने दोनों रख दिये हैं? (व्यवधान) आप बोल लिये हैं। आपने अपना पाइंट रख दिया है। आप बोल लिये। आप बैठिये। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, यह न तो रिकार्ड पर जा रहा है, रमेशजी। (व्यवधान) नहीं, यह ठीक नहीं है।

सचिव, राजस्थान विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा...

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: नोट नहीं होगा। नोट नहीं होगा। नोट नहीं होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नाम से पुकारिये, अध्यक्ष महोदय, इनको नाम से पुकारिये। ये यूं नहीं मानेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहला दिन है, सदन पहली बार चल रहा है और देखो, किस प्रकार अनुशासन को तार-तार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्रीजी, पहला दिन तो क्या... (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ लीजिये। आप पढ़ लीजिये।

सचिव, राजस्थान विधान सभा: मैं पढ़ रहा हूं, सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017

(2) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017

(3) राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017

(4) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017

(5) राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017

श्री अध्यक्ष: (क) और (ख) रख दिया क्या आपने? सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि में (क) और (ख) हैं, रख दिया क्या आपने?

सचिव, राजस्थान विधान सभा: हां, सारे पढ़ लिये सर।

श्री अध्यक्ष: पढ़ लिये? ठीक है।

अध्यादेश, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

अध्यादेश

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2017

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से राजस्थान पिछड़ा वर्ग...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ... (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश क्रमांक-4) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: अभी बोलना चाहेंगे क्या आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है अध्यक्ष महोदय। यह जो विधायी कार्य माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया प्रस्तुत कर रहे हैं, यह प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थान हेतु नियत समय में वृद्धि, दण्ड विधियां...

श्री अध्यक्ष: यह अभी नहीं रखा है न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रखने से पहले ही उठाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, रखा तो जाने दो न।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी तो उन्होंने अध्यादेश सदन की मेज पर रखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब तक कोई प्रतिवेदन सदन के विचाराधीन नहीं है, उस पर व्यवस्था का प्रश्न कैसे आ सकता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आ जाएगा। अभी आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले प्रतिवेदन विचारार्थ आ जाए, उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न करना।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। जब विषय आएगा, तब चर्चा कर लेना। अभी तो यह इन्होंने अध्यादेश रखा है। इसके बाद देख लेंगे। आप जब कहेंगे। विधायी कार्य। प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि। माननीय श्री गुलाबजी कटारिया।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यादेश निरस्त होने के उपरान्त उसके प्रतिस्थापन का विधेयक प्रवर समिति को नहीं सौंपा जा सकता

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस पर व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि ये दोनों बिल जो हैं, ये आर्डिनेंस के द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किये गये...

श्री अध्यक्ष: दो कहां हैं? यह तो एक है। एक ही है यह तो अभी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं एक ही बोल रहा हूं। मुझे पूरा करना दीजिये। आप, माननीय मंत्री महोदय, विराज जाएं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि वह जो आर्डिनेंस के द्वारा बिल पेश किया गया था सरकार ने उस आर्डिनेंस को लैप्स करा दिया और यह उसको रिप्लेसमेंट कराने वाला बिल था। जब आर्डिनेंस लैप्स हो गया तो रिप्लेस करने वाले बिल को अब आप प्रवर समिति को भी नहीं सौंप सकते इसलिए इसके लिए समय बढ़ाने की बात करना अनुचित है, नियम विरुद्ध है। दूसरी बात, सरकार ने उच्च न्यायालय में यह कहा कि हम इस बिल को पारित ही नहीं करा रहे हैं इसलिए उच्च न्यायालय ने उस काले कानून पर अपना निर्णय नहीं दिया। तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि प्रवर समिति का आप समय बढ़ाना चाहते हैं तो प्रवर समिति की कितनी मीटिंग्स हुई, इस विषय पर क्या डिस्कशन हुआ, ये सारी बातें जब तक आप सदन को अवगत नहीं करायेंगे तब तक इसके बारे में विचार नहीं हो सकता और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जेल में बंद रहे हैं, मैं भी जेल में बंद रहा हूं...।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मीसा और डीआईआर का जैसा दुरुपयोग किया था उसी प्रकार के दुरुपयोग करने का यह काला कानून है। इस काले कानून को जब सरकार नहीं चाहती तो बार-बार क्यों पेश किया जा रहा है? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं उस पर निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि पिछले सत्र में दो विधेयक ऐसे आये थे जो सदन में विचारार्थ आये थे, उनको प्रवर समिति को सौंपा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सही बात है कि दो विधेयकों में से एक पर पांच मीटिंग्स हुईं और प्रवर समिति ने अपनी सिफारिश की जो सदन में प्रस्तुत कर दी जाएगी। दूसरे विधेयक पर माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसको काला कानून आप बता रहे थे,...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, काला ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वो काला कानून तो तब बनता जब उसको कानून की संज्ञा में हम लेकर आते। यह अभी कानून है ही नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह लाये किसलिए हो आप? किसलिए लेकर आये हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो ले ही आये थे, आपने तो कोई कसर थोड़ी छोड़ी थी।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी, बोलने दीजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): असत्य बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो भला हो इस जनता का, मीडिया का और प्रतिपक्ष का कि उन्होंने पुरजोर विरोध किया और आपको मुंह की खानी पड़ी। आप तो ले ही आये थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान)... सारी दुनिया को आप दबाना चाहते हो उसके द्वारा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सर्वसम्मति से उसको पारित किया था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान की बात कर लो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उसको पारित किया था। आप कैसी बात कर रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वहां भी सूपड़ा साफ हो रहा है आपका। महाराष्ट्र में भी सूपड़ा साफ हो रहा है राजस्थान की तरह। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काला कानून है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी पूरी बात कहने दें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपको अपने गिरहबान में झांकना चाहिए कि आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र में उसको स्वीकार किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये इस पर।

श्री अध्यक्ष: आपने अपना पाइंट ऑफ ऑर्डर रख दिया है वो जवाब दे रहे हैं। उनके जवाब को सुनिये। उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। ऐसा उतावलापन क्या है। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): पांच बार कमेटी मीटिंग्स के बारे में बतायें राठौड़ साहब, आप गलत बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन यह कर रहा था कि निश्चित तौर पर अध्यादेश लाने के पश्चात माननीय मुख्य मंत्रीजी के संज्ञान में कुछ बातें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आयीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सहृदयता दिखाते हुए इसको प्रवर समिति को...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री स्वयं मौजूद हैं। जब गृह मंत्री मौजूद हैं, सक्षम हैं तो वो जवाब क्यों नहीं देते इस विधेयक के ऊपर? गृह मंत्रीजी स्वयं मौजूद हैं सदन में, मुख्य मंत्रीजी मौजूद हैं तो राठौड़ साहब कैसे जवाब दे रहे हैं? इनकी आपत्ति गृह मंत्रीजी के बिल से है तो वो जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी, यह पहला दिन है मैं रिक्वैस्ट करता हूं। यह ठीक नहीं है। आप बैठिये। यह तरीका ठीक नहीं है। डोटासरा जी, यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसका जवाब मैं दूंगा, बाकी जवाब हमारे गृह मंत्री जी दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई अध्यादेश बिल का रूप ले, उसके पहले विधेयक प्रस्तुत करने के साथ प्रस्तुतीकरण के अन्दर ही अगर सलेक्ट कमेटी के पास चला गया तो अभी उस पर पूरा विचार नहीं हुआ। अब उसका समय बढ़ाने की बात है तो मैं आपका ध्यान रूल 224(1) की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह समाप्त हो गया। यह आप समय किसका बढ़ा रहे हो, समाप्त ही हो गया बिल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह अधिकार सदन को है, सदन समय बढ़ा सकती है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के बारे में प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद सदन विचारार्थ ले सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल समाप्त हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो चीज जिस पर प्रवर समिति ने अपना निर्णय दिया ही नहीं, उसकी आड़ में आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनर्गल चाहे जो बातें उठा कर मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि एक सीनियर मैंबर को यह शोभा नहीं देता है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है अनर्गल, अनर्गल तो आप और आपकी सरकार हो गयी जिस प्रकार आप बोलते हो। शब्दों का प्रयोग करना जानते हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसी सरकार के चुनाव निशान को लेकर आप सांगानेर की गली-गली में गये थे, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, गये होंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसी मैनिफेस्टो में आप गये। सरकार आपके कहने से नहीं हुई। आप खीझ मिटाने की कोशिश कर रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी मुख्य मंत्रीजी ने जितना विरोध करना था कर लिया। छाती के बल पर जीत कर आया हूं आपके भरोसे नहीं आया हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पर कोई नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष: आप मूव कर दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, यह मत करो आप। सदन का दुरुपयोग कर रहे हो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यही करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप फैसला करिये। आर्डिनेंस ही लैप्स हो गया तो बिल कैसा है।

श्री रमेश (सपोटरा): .... (व्यवधान) यह क्या बात है एक माननीय सदस्य को धमकाया जा रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा के समय में दो बिल रखे थे। पिछले बार वो आर्डिनेंस जो हमने जारी किये थे, उसको पास करने के लिए विधेयक के रूप में हम दो यहां लेकर आये थे, वो पास नहीं हुए। वो आर्डिनेंस जब तब हाउस उसको स्वीकृति नहीं देता तब तब पास नहीं होता। हाउस की और सब लोगों की राय यह बनी थी कि इनको ठीक ढंग से देख लिया जाए इसलिए इनको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। प्रवर समिति के सुपुर्द हो गया। कानून यह कहता है कि 42 दिन तक हाउस समाप्त होने के बाद वो लैप्स हो जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वो बिल भी लैप्स हो जाता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक सैकिण्ड। लेकिन प्रवर समिति का काम चल रहा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आर्डिनेंस जब समाप्त हो गया था तो प्रवर समिति का काम साथ ही समाप्त हो गया। आर्डिनेंस अगर पास होता, आर्डिनेंस अगर 42 दिन में आप पास कर लेते तो प्रवर समिति को भेजने का अधिकार बनता वर्ना प्रवर समिति को भेजने का अधिकार ही नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): थोड़ा आपकी विद्वता पर, थोड़ा धीरे-धीरे। वो बिल लैप्स हो गया इसका मतलब काम में तो आ ही नहीं सकता। कोई काम में नहीं आया लेकिन प्रवर समिति को...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वो काम में आ गया। गृह मंत्री जी, वो काम में आ गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कहां से आ गया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आ गया। 17-0 आ गयी न। 17-0 और क्या काम में लेते आप? इस काले कानून ने भी मदद की है हमारी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह प्रवर समिति इस बात के लिए बनी थी कि इन दोनों बिलों को ठीक प्रकार से प्रत्येक बिंदु को देख ले। उसमें से एक जो सीधा का सीधा एक तरह से बयान कोर्ट में रिकार्ड हो जाए

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वो पहला। उसकी पांच मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद उनमें कुछ छोटे-मोटे सुधार के साथ उन्होंने अपनी राय दे दी, जो वापस आपके हाउस में आएगा लेकिन सेकंड जो बिल था जिसके बारे में सबका विरोध था, वो अभी भी उसके पास पेंडिंग इसलिए है कि उस समिति की क्या राय बनती है, अगर राय पक्ष की बनेगी तो लायेंगे, नहीं बनती है तो नहीं लायेंगे, लेकिन वो नये रूप में आयेगा। जो पुराना है वो तो अपने-आपमें लैप्स हो चुका, लेकिन प्रवर समिति को दिया इसीलिए है कि उन सारी कमी- खामियों के बारे में सभी दलों के माननीय सदस्य और विद्वान सदस्यों की कमेटी बनाई। ऐसे ही कोई चलताऊ कमेटी नहीं बनाई। उसके प्रत्येक बिंदु पर लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, ये सारे लोग हैं, मैं सोचता हूं कि कोई बिन्दु और फुलस्टोप ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने चर्चा नहीं की और उसमें से एक को जो फाइनल किया, अगली बार उसको हाउस में पेश करेंगे। सेकंड वाले पर अभी चर्चा प्रारंभ ही नहीं हो सकी। हम चाहते हैं कि उस बिल को भी हर दृष्टि से, हर एंगल से देखें। देखने के बाद उनकी राय बनेगी तो हाउस में लायेंगे। राय नहीं बनेगी तो अपने-आप नहीं आएगा। समस्या कहां है? विचार करना कोई गुनाह नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि ...(व्यवधान)... एक मिनट डोटासरा जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक उसमें क्या प्रगति हुई, कितनी बैठकें हुई? ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है।

विधायी कार्य: प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन

(श्री अध्यक्ष)

हेतु नियत समय आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रवर समिति सदन से बड़ी नहीं है। सदन यह जानना चाहता है कि आप क्यों बढ़ाना चाहते हो उस समय को?

बहिर्गमन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूं। यह काला कानून सदन में लाना लोकतंत्र का हनन है और मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति। ...(व्यवधान)... घनश्याम जी तिवाड़ी विद्वान हैं, यहां के वरिष्ठ और विद्वान सदस्य हैं और मैं आपसे कहता हूं कि शोकाभिव्यक्ति तो कीजिये आप भी। कभी आपकी भी होगी और मेरी भी होगी इसलिए उसमें सम्मिलित हो जाइये। विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए मैं आज काला सूट पहन कर आया हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: विराजो। शोकाभिव्यक्ति।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री बी.एल. जोशी, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल श्री देवेश नंदन सहाय, पूर्व मंत्री डॉ. दिगम्बर सिंह तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, उदय सिंह राठौड़, राम सहाय सोनड़, तथा श्रीमती श्यामकुमारी सेंगर के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

बी.एल. जोशी, श्री, पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं मेघालय के पूर्व राज्यपाल श्री बी.एल. जोशी का जन्म नागौर जिले के छोटी खाटू ग्राम में हुआ।

श्री बी.एल.जोशी जून, 2004 से अप्रैल, 2007 तक दिल्ली के उप राज्यपाल तथा अप्रैल, 2007 से अक्टूबर, 2007 तक मेघालय, अक्टूबर, 2007 से अगस्त, 2009 तक उत्तराखण्ड एवं जुलाई, 2009 से जून, 2014 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री जोशी ने पाकिस्तान एवं इंग्लैण्ड में भारतीय उच्चायोग तथा अमेरिका में भारतीय दूतावास में भी अपनी सेवाएं दीं।

वर्ष 1957 से राजस्थान पुलिस में सेवारत रहे श्री जोशी वर्ष 1962 में भारतीय पुलिस सेवा से सम्बद्ध हुए तथा इस दौरान आपने विभिन्न पदों पर अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कीं। अनेक सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे श्री जोशी राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रहे। आपने अमेरिका में अनेक कम्पनियों तथा एनजीओ में उच्च पदों पर रहते हुए जरूरतमंद भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किया।

श्री बी.एल.जोशी का दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को निधन हो गया।

दिनेश नंदन सहाय, श्री, पूर्व राज्यपाल, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ एवं त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय का जन्म 2 फरवरी, 1936 को बिहार के मधुबनी जिले के मधेपुर में हुआ। आपने अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री दिनेश नंदन सहाय 1 नवम्बर, 2000 को छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल बने तथा आप इस पद पर जून, 2003 तक आसीन रहे। आप जून, 2003 से अक्टूबर, 2009 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे।

बिहार विश्वविद्यालय में व्याख्याता तथा वर्ष 1960 में भारतीय पुलिस सेवा से प्रशासनिक जीवन की शुरूआत करने वाले श्री सहाय ने बिहार शासन एवं भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। आप बिहार पुलिस के महानिदेशक भी रहे। समता पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री सहाय पार्टी

(श्री अध्यक्ष)

की बिहार इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। श्री सहाय छात्र जीवन में संयुक्त राष्ट्र की स्वयं सेवी संस्था 'युनाइटेड नेशन स्टूडेंट्स एसोसिएशन' की बिहार राज्य की समिति के अध्यक्ष भी रहे।

श्री दिनेश नंदन सहाय का दिनांक 29 जनवरी, 2018 को निधन हो गया।

डा. दिगम्बर सिंह, पूर्व सदस्य

पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक डा. दिगम्बर सिंह का जन्म 1 अक्टूबर, 1951 को भरतपुर जिले के बरखेड़ा फौजदार ग्राम में हुआ। आपने एम.बी.बी.एस. की उपाधि प्राप्त की।

डा. दिगम्बर सिंह बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। बारहवीं विधान सभा में आप कुम्हेर तथा तेरहवीं विधान सभा में डीग कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। आप राज्य सरकार में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद, उद्योग, भारतीय अप्रवासी, राजकीय उपक्रम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभागों के मंत्री रहे।

समाज सेवा में रूचि रखने वाले डा. सिंह नगर सुधार न्यास, भरतपुर के न्यासी तथा तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भरतपुर के चैयरमैन रहे। कुशल प्रशासक रहे डा. सिंह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निदेशक तथा बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे।

डा. दिगम्बर सिंह का दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को निधन हो गया।

सुरेन्द्र सिंह राठौड़, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ का जन्म 8 मई, 1953 को श्री गंगानगर जिले के 13जी छोटी ग्राम में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.ए., एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ बारहवीं राजस्थान विधान सभा में गंगानगर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति के सदस्य रहे।

श्री सिंह ग्राम पंचायत 13जी छोटी के लगभग 10 वर्षों तक सरपंच रहे। आप पंचायत समिति श्री गंगानगर के सदस्य तथा प्रधान भी रहे।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ का दिनांक 14 जनवरी, 2018 को निधन हो गया।

उदय सिंह राठौड़, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री उदय सिंह राठौड़ का जन्म जुलाई, 1946 में जोधपुर जिले के रावरा ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री उदय सिंह राठौड़ ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में बनीपार्क निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे।

कर्मचारियों के कल्याण हेतु संघर्षरत रहे श्री राठौड़ अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा अखिल भारतीय राज्य वाहन चालक तकनीकी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आप इन संघों की राज्य इकाई के अध्यक्ष भी रहे।

श्री उदय सिंह राठौड़ का दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को निधन हो गया।

रामसहाय सोनड़, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री रामसहाय सोनड़ का जन्म वर्ष 1933 में जयपुर जिले के सोनड़ ग्राम में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामसहाय सोनड़ सातवीं राजस्थान विधान सभा में लालसोट निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा कृषि, पशुपालन, एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना विभागों संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री सोनड़ अपने सार्वजनिक जीवन में पंचायत समिति, सोनड़ के सदस्य तथा सरपंच रहे। आप वर्ष 1962 में पंचायत समिति के उप प्रधान भी रहे। सहकार को प्रोत्साहित करने वाले श्री सोनड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष तथा राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ, जयपुर के संचालक रहे। कृषि में रूचि रखने वाले श्री सोनड़ कृषि उपज मंडी समिति, दौसा के अध्यक्ष रहे। आप कांग्रेस प्रजा मंडल के सदस्य भी रहे।

श्री रामसहाय सोनड़ का दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को निधन हो गया।

श्यामा कुमारी सेंगर, श्रीमती, पूर्व सदस्या

पूर्व विधायक श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर का जन्म 17 दिसम्बर, 1931 को बीकानेर में हुआ। आपने एम.ए., बी.एड. तथा प्रभाकर की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर छठी राजस्थान विधान सभा में कपासन निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी की विधायक रहीं। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं।

श्रीमती सेंगर अपने सार्वजनिक जीवन में पंचायत समिति मावली की सदस्य रहीं। आप नगरपालिका, उदयपुर की दो बार सदस्य भी रहीं। साहित्य में रूचि रखने वाली श्रीमती सेंगर की राजस्थानी एवं हिन्दी में कविताएं भी प्रकाशित हुईं।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर का दिनांक 4 नवम्बर, 2017 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवगंतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

बनास नदी दुर्घटना के मृतक

दिनांक 24 दिसम्बर, 2017 को सवाई माधोपुर के पास यात्रियों से भरी

(श्री अध्यक्ष)

बस बनास नदी में गिर गयी। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 34 से अधिक लोगों की मौत हो गयी तथा अनेक यात्री घायल हो गये।

मैं दुर्घटना में मारे गये लोगों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूँ तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तत्पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 6 फरवरी, 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 6 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

राज्यपाल महोदय, माननीय श्री कल्याण सिंह का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. चौदहवीं विधान सभा के दशम् सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूँ और प्रदेशवासियों को प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि कुशल और सक्षम नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन से प्रदेश देशभर में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर रहा है।

2. मुझे विश्वास है कि इस सत्र में माननीय सदस्य विकास एवं जनहित के लिए व्यापक विचार-विमर्श कर प्रदेश के समग्र विकास और लोकहित के लिये सकारात्मक संवाद करेंगे तथा एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ देश और प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास में भी अपनी रचनात्मक भागीदारी निभायेंगे।

3. राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान सुराज संकल्प पत्र में किये गये वायदों को पूरा करने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किये हैं। इन वायदों को पूरा करने से जनता में सरकार की नीति व नीयत के प्रति विश्वास एवं आस्था और अधिक मजबूत हुई है।

4. हम सब जानते हैं, कि राजस्थान भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं वाला विशिष्ट राज्य है। इन विविधताओं के कारण अलग-अलग क्षत्रों की अपनी-अपनी विशिष्ट समस्याएं और आवश्यकताएं हैं। इन समस्याओं के निराकरण और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अथक प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में आमजन के सहयोग और समथर्न के लिए मैं प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

5. प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मादी के मजबूत नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की आर्थिक नीति हो या रक्षा नीति,

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध हो या आंतरिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री के साहसिक नेतृत्व से देश की एक अलग पहचान बनी है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत की आवाज को विश्वभर में अधिक गंभीरता से सुना जाने लगा है। इससे देशवासियों के मनोबल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

6. केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये साहसिक आर्थिक निर्णयों से आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगा है। जीएसटी की क्रांतिकारी पहल द्वारा सम्पूर्ण देश में एक अच्छी व सरल कर पद्धति लागू की गयी है। प्रदेश में भी इसके सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं।

7. प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आवास, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, पर्यटन, सूचना और प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में हुए ऐतिहासिक कार्यों के परिणामस्वरूप समग्र विकास के साथ ही राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।

8. विभिन्न राजकीय योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण की देशभर में अनूठी भामाशाह योजना के अन्तर्गत एक करोड़ 51 लाख परिवारों के 5 करोड़ 55 लाख व्यक्तियों का नामाकंन किया जा चुका है। अब तक पूर्ण पारदर्शी तरीके से नकद व गैर-नकद लाभ के 34 करोड़ 11 लाख ट्रांजेक्शन तथा 13 हजार 28 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधी हस्तांतरित की जा चुकी है।

माननीय सदस्यगण !

9. राज्य की अनूठी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक लगभग 18 लाख से अधिक क्लेम बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किये जा चुके हैं और एक हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि की निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं पात्र व्यक्तियों को राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में सुलभ करवाई जा चुकी है।

10. प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से प्रारम्भ की गयी आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना में अब तक 581 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श पी.एच.सी. के रूप मे

विकसित किया जा चुका है व 314 पी.एच. सी. को आदर्श पी.एच.सी. के रूप मे विकसित करना प्रक्रियाधीन है।

11. बिगड़ते लिंगानुपात को सुधारने के लिये पीसीपीएनडीटी एक्ट का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुखबिर योजना के अन्तर्गत 28 इन्टरस्टेट सहित कुल 102 सफल डिकोय ऑपरेशन किये जा चुके हैं।

12. राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्धेश्य से टेलिमेडिसिन परियोजना लागू कर 100 दूरस्थ चिकित्सा संस्थानों पर मरीजों को निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सीय सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

13. इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा के तहत इस समय प्रदेश में कुल एक हजार 511 एम्बुलेंस संचालित की जा रही हैं। साथ ही सभी जिलों में 21 नवम्बर 2017 से 34 एडवांस लाईफ सपोर्ट 108 एम्बुलेंस प्रारम्भ हो चुकी हैं।

14. प्रदेश में नये मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं एवं इन मेडिकल कॉलेजों को सत्र 2018-19 में प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है।

15. विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों (जयपुर, उदयपुर, कोटा व बीकानेर) में 650 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक बनवाए जा रहे हैं।

16. एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय में 65 करोड़ रुपये की लागत से नवीन अकादमिक भवन का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त एस.एम.एस अस्पताल में 25 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य एवं आधुनिक उपकरणों की स्थापना के कार्य भी प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

17. एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय में 365 जीवित गुर्दा प्रत्यारोपण किये जा चुके हैं। केडेवरिक गुर्दा प्रत्यारोपण 25 फरवरी, 2015 से प्रारंभ कर अब तक 21 केडेवरिक गुर्दा प्रत्यारोपण किये जा चुके हैं। अंग प्रत्यारोपण की दृष्टि से राजस्थान देश के शीर्ष प्रदेशों में शामिल हो गया है।

18. कैंसर रोगियों की चिकित्सा एवं अनुसंधान कार्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जयपुर में 120 करोड़ रुपये की लागत से राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

19. प्रदेश में 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र तथा 35 पंचकर्म केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। दो जिला आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने के साथ ही 13 चिकित्सालयों को ''जिला आयुर्वेद चिकित्सालय'' का दर्जा प्रदान किया गया है। साथ ही 10 नवीन क्षारसूत्र चिकित्सा केन्द्र खोले गये। अजमेर, भीलवाडा, बीकानेर एवं चूरू में 18 करोड़ रुपये की लागत से 50 शैय्याओं के आयुष चिकित्सालयों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

20. तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर राज्य में लगभग 48 लाख व्यक्तियों ने योगाभ्यास किया। भरतपुर में आयोजित आरोग्य मेले में एक लाख 50 हजार नागरिकों ने स्वास्थ्य लाभ लिया।

माननीय सदस्यगण !

21. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2017 में लगभग 55 लाख किसानों को योजना से जोड़ा गया है।

22. सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के प्रथम चरण में राज्य की समस्त कृषि जोतों के लिए 77 लाख 17 हजार सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करवाकर द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सॉयल हैल्थ कार्ड में पाई गई सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से 90 प्रतिशत अनुदान पर एक लाख कृषकों को सूक्ष्म तत्व किट उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

23. ''उन्नत किसान और खुशहाल राजस्थान'' का सपना पूरा करने तथा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से जयपुर व कोटा के बाद उदयपुर में 3 दिवसीय ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

24. कृषि कार्य करते हुए कृषक, खेतीहर मजदूर अथवा हम्माल-पल्लेदार का अंग-भंग अथवा मृत्यु होने पर दावेदार को वित्तीय सहायता उपलब्ध

करवाने के तहत वर्ष 2017-18 में दिसम्बर तक 2 हजार 220 परिवारों को लगभग 30 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवायी गयी है।

25. राज्य में जैतून की खेती के सफल नवाचार को भारत सरकार द्वारा सराहा गया है। जैतून की खेती को तिलहन तथा ऑयल पाम से संबंधित राष्ट्रीय मिशन में शामिल कर लिया गया है। राज्य में जैतून के तेल के साथ-साथ जैतून से शहद तथा इसकी पत्तियों से ग्रीन टी बनाने का नवाचार भी प्रारम्भ कर दिया गया है। जैतून उत्पादक किसानों को भी इन नवाचारों से जोड़ा जा रहा है जिससे उन्हें अच्छी व सतत आमदनी मिल सके।

26. राज्य में कृषि उपज की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर तक 253 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य सम्पादित किये गये हैं।

27. प्रदेश में लघु वन उपज के विपणन हेतु राज्य की पहली उदयपुर वन उपज मण्डी से आदिवासियों को विशेष लाभ हो रहा है। आदिवासियों को नवम्बर 2014 से नवम्बर 2017 तक वन उपज की बिक्री से 191 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है।

28. राज्य के 24 जिले-बीकानेर, अजमेर, चूरू, पाली, झुन्झुनूं, चित्तोड़गढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर, सीकर, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां, जयपुर, झालावाड़, राजसमन्द, सिरोही, बूंदी, कोटा, धोलपुर, भरतपुर व दौसा खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।

29. प्रदेश की 158 नगरीय निकायों को भी खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निकायों द्वारा अब तक 3 लाख 10 हजार से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

30. वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3 हजार 808 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने के बाद अब प्रदेश की कुल 9 हजार 891 ग्राम पंचायतों में से 9 हजार 54 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं।

31. स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शौचालय निर्माण में राजस्थान वर्ष 2015-16 व 2016-17 में भारतवर्ष में प्रथम रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 19 लाख 44 हजार शौचालयों का निर्माण किया गया है। राज्य में अब तक कुल 77 लाख 45 हजार शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

32. ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि में 14 अप्रैल, 2017 से 20 जुलाई, 2017 तक चलाये गये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के तहत 8 लाख 50 हजार से अधिक पट्टे वितरित किये जा चुके हैं। इसमें से अनुसूचित जाति को एक लाख 76 हजार, अनुसूचित जनजाति को 83 हजार 660 एवं महिलाओं को लगभग एक लाख 25 हजार पट्टे वितरित किये गये हैं।

33. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत तृतीय चरण में 4 हजार 240 गांवों का चयन कर 9 दिसम्बर, 2017 को 10 मरूस्थलीय जिलों एवं 15 दिसम्बर, 2017 को अजमेर, अलवर एवं भीलवाडा में कार्यों का शुभारंभ किया गया। शेष जिलों में 20 जनवरी 2018 से कार्य प्रारंभ करवाये गये हैं। प्रथम चरण में 95 हजार से अधिक व द्वितीय चरण में एक लाख से अधिक निर्माण कार्यों के परिणामस्वरूप भूजल स्तर में वृद्धि हुयी है। अभियान के तहत प्रथम दो चरणों में 90 लाख से अधिक पौध-रोपण किया गया।

माननीय सदस्यगण !

34. आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिये 8 मई 2017 से 15 जुलाई 2017 तक संचालित किये गये ''न्याय आपके द्वार'' अभियान के तहत 26 लाख 12 हजार 875 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अभियान के तहत गत 3 वर्षों में कुल 96 लाख राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

35. राज्य की सभी तहसीलों में जमाबंदियों का कम्प्यूटराइजेशन एवं खसरा नक्शों के डिजिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है।

36. आमजन को उचित मूल्य की दुकानों पर मल्टी-ब्रॉण्ड वस्तुएं एमआरपी से भी कम दरों पर उपलब्ध करवाने हेतु देश की पहली

आधुनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में 6 हजार 151 अन्नपूर्णा भण्डार सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

37. वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए पोस मशीनों के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के 4 करोड़ 50 लाख लोगों को बायोमैट्रिक पहचान से उनके हक का पूरा राशन समय पर मिल रहा है। माह दिसम्बर 2017 तक लगभग 24 करोड़ ट्रांजेक्शन किये जा चुके हैं।

38. बारां जिले के 30 हजार 833 सहरिया एवं उदयपरु जिले के एक हजार 106 कथौड़ी जनजाति के परिवारों को वर्ष 2014-15 से निरन्तर 35 किलोग्राम गेंहू प्रतिमाह प्रति परिवार निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

39. राज्य सरकार द्वारा एक जनवरी, 2017 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि कर अकुशल एवं उच्च कशुल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 207 व 277 रुपये प्रतिदिन की गई है।

40. भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक 3 लाख 81 हजार 315 निर्माण श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये गये तथा 70 हजार 432 श्रमिकों को 214 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि से लाभान्वित किया गया।

41. कौशल विकास में विशेष उपलब्धियों के लिए कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग को एसोचैम से लगातार तीन वर्षो से सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार एवं स्मार्ट गवर्नेंस इन स्किलिंग हेतु प्रथम बार स्कॉच अवार्ड मिला है।

42. सभी जिलों में रोजगार परक शिक्षण के साथ आई.टी.आई., राजेगार मेलों, स्वरोजगार एवं उद्यमिता आदि के माध्यम से विभागों एवं एजेन्सियों द्वारा सरकारी क्षेत्र में एक लाख 80 हजार 765 युवाओं एवं गैर सरकारी क्षेत्र में 11 लाख 47 हजार 697 युवाओं सहित कुल 13 लाख 28 हजार 462 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

43. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 13 दिसम्बर, 2013 से 31 दिसम्बर, 2017 तक 2 लाख 21 हजार 742 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

44. देश के पहले राजकीय कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में की गयी है। निजी क्षेत्र में भी राज्य की प्रथम भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी है। इस विश्वविद्यालय द्वारा स्विस डुअल मॉडल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

45. प्रदेश के राजकीय या निजी आई.टी.आई से शेष रहे ब्लॉक्स में आई.टी.आई की स्थापना हेतु लगभग 10 करोड़ रुपये प्रति आइ. टी.आई की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। राज्य में 930 नये राजकीय एवं निजी आई.टी.आई स्थापित कर इनकी प्रशिक्षण क्षमता लगभग 4 लाख की जा चुकी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए निजी सहभागिता द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाईयों एवं प्रतिष्ठानों से एमओयू भी किये गये हैं।

माननीय सदस्यगण !

46. नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक राज्य में 2 हजार 320 उद्यमियों द्वारा 48 हजार 841 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है।

47. नई एकल खिड़की व्यवस्था के तहत 1 जून, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक विभिन्न विभागों से अनुमति अथवा स्वीकृति के लिये 8 हजार 552 करोड़ रुपये के 5 हजार 489 आवदे न प्राप्त हुये। इनमें से 4 हजार 984 करोड़ 40 लाख रुपये के 3 हजार 791 प्रस्तावों के लिये अनुमति जारी की गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमण्डल ने 20 हजार 761 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिये हैं।

48. राज्य में वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक 75 हजार 365 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग UAM पोर्टल पर online पंजीकरण कर UAM ज्ञापन जारी किये गये। इसमें 3 लाख 21 हजार 654

व्यक्तियों को रोजगार एवं 8 हजार 153 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी विनियोजन के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

49. भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अधिकतम ऋण सीमा व्यापार एवं सेवा क्षेत्र हेतु 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तथा विनिर्माण क्षेत्र हेतु 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। ब्याज अनुदान दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत की गई है।

50. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 16 जनवरी, 2018 को पचपदरा, बाड़मेर में 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के राजस्थान रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स के कार्य का शुभारंभ किया गया। रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स के सम्मिश्रण की यह देश की प्रथम परियोजना है। रिफाइनरी स्थापना से अतिरिक्त आय के साथ ही प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही सहायक उद्योगों के लगने से अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय निवासियों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पूर्व में हुये एमओयू की समीक्षा करते हुये प्रदेश के हित में एचपीसीएल के साथ रिनेगोशियेट कर राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार में उल्लेखनीय कमी की गई हैं। अब राज्य सरकार पर वित्तीय भार 60 हजार करोड़ रुपये से घटकर मात्र 20 हजार करोड़ रुपये रह गया है। इस परियोजना पर राज्य को निवेश पर पूर्व में मिलने वाले लाभांश 6.3 प्रतिशत के स्थान पर बढ़कर अब 12.2 प्रतिशत प्राप्त होगा, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

51. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 जारी कर खानों का आवटंन पारदर्शी तरीके से ऑनलाईन ऑक्शन के जरिये किया जा रहा है।

52. गत चार वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता 12 हजार 820 मेगावाट से बढ़ा कर 19 हजार 536 मेगावाट करने से राज्य की मागं व आपूर्ति का अन्तर समाप्त हो गया है एवं 22 से 24 घण्टे घरेलू विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है।

53. प्रदेश में एक लाख 77 हजार कृषि कनेक्शन एवं 23 लाख 95 हजार घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं।

54. प्रसारण व वितरण तन्त्र को सुदृढ़ करते हुये गत 4 वर्षों में कुल एक हजार 40 विभिन्न श्रेणियों के सब स्टेशन स्थापित किये गये हैं।

55. अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से राज्य में गत चार वर्षों में 3 हजार 161 मेगावाट उत्पादन क्षमता विकसित की गयी है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत के सर्वश्रेष्ठ पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटीका सीबीआईपी-2018 पुरस्कार प्रदान किया गया है।

56. राज्य सरकार द्वारा उदय योजना में 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण अधिग्रहण कर विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयासों के सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके कारण एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन से वर्ष 2013-14 में 15 हजार 645 करोड़ रुपये के रहे घाटे को कम कर 2016-17 में एक हजार 981 करोड़ रुपये लाया जा चुका है। वर्ष 2016-17 में विद्युत छीजत में 4.83 प्रतिशत की कमी लाई गई है।

57. किसानों को गत चार वर्षों में विद्युत दरों में राज्य सरकार ने रिकॉर्ड 26 हजार 125 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। नई कृषि कनेक्शन नीति के सरलीकरण से किसान लाभान्वित हुये हैं।

58. ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नाली सहित सीमेंट कंकरीट सड़क निर्माण करने के लिए अब तक 3 हजार 713 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एक हजार 590 करोड़ रुपये व्यय कर 3 हजार 668 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 2 हजार 880 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

59. शहरी गौरवपथ में 182 करोड़ रुपये व्यय कर 60 शहरी गौरवपथ पूर्ण किये गये एवं 111 में कार्य प्रगतिरत हैं।

60. गत 4 वर्षों में विभिन्न योजनाओं में राज्य में प्रतिदिन 15 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण कर कुल 21 हजार 614 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया तथा एक हजार 667 गांवों व 4 हजार 70 बसावटों में सड़क सुविधा पहुंचाई गई है।

61. राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण में 3 हजार 464 किलोमीटर लम्बाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक हजार 662 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है।

62. ग्रामीण सड़क तंत्र में आवागमन को सुगम बनाने की दृष्टि से छूटे हुए मार्गों को डामरीकृत किये जाने के लिए मिसिंग लिंक सड़क योजना के तहत अब तक 842 करोड़ रुपये व्यय कर 3 हजार 597 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा लगभग 800 किलोमीटर लम्बाई में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

63. नाबार्ड की आरआईडीएफ-22 योजना के तहत 525 करोड़ रुपये की लागत के 4 हजार 748 किलामीटर लम्बाई के एक हजार 434 कार्य तथा आरआईडीएफ-23 योजना के तहत 800 करोड़ रुपये लागत के एक हजार 614 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

64. राज्य में अब तक 746 किमी लम्बाई के 9 नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जा चुके हैं। प्रदेश के 5 हजार 130 किमी लम्बाई के 51 नये राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किये जाने की भी भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो गई है।

माननीय सदस्यगण !

65. आमजन को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 16 हजार 439 गांवों व ढाणियों एवं 3 हजार 678 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों को प्राथमिकता से पेयजल उपलब्ध करवाया गया। इनमें फ्लोराईड व क्षारीय क्षेत्रों के 6 हजार 287 गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन भी शामिल हैं। इस दौरान 9 हजार 102 नये नलकूप, 25 हजार 883 नये हैण्डपम्प लगाये गये एवं 9 लाख 46 हजार 261 खराब पाए गये हैण्डपम्पों को सुधार कर पुनः शुरू किया गया।

66. वृहद परियोजनाओं से 2 हजार 621 गावं तथा 5 हजार 77 ढाणियों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन को

तत्काल राहत देने के लिए 2 हजार 194 आर.ओ. प्लान्ट्स चालू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य में 693 सौर ऊर्जा आधारित बोरवैल पम्पिगं सिस्टम एवं एक हजार 180 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन यूनिट स्थापित किये गये हैं।

67. शिक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में हुए प्रयासों से राजकीय विद्यालयों के नामाकंन में लगभग 12 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रदेश में 4 हजार 876 उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में तथा 4 हजार 214 उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया गया है।

68. साक्षरता एवं सतत् शिक्षा मूल्याकंन परीक्षा के आधार पर प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गत तीन वर्षों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणामों 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

69. विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने, कौशल विकास करने तथा शिक्षा एवं रोजगार के मध्य अन्तर कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2017-18 में 50 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ की गई है। वर्तमान में 720 विद्यालयों में लगभग 80 हजार विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

70. सत्र 2017-18 में राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 की 2 लाख 80 हजार छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की जा चुकी हैं एवं शेष 40 हजार छात्राओं को साइकिल वितरित की जा रही हैं। सत्र 2017-18 में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 37 हजार 361 बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

71. मुख्य मंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजनान्तगर्त 46 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से एक हजार 692 विद्यालयों में कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 682 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

72. उच्च शिक्षा के प्रसार करने की दिशा में वर्ष 2017-18 में 17 नवीन राजकीय महाविद्यालय खालें गये तथा 10 राजकीय महाविद्यालयों को

स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य में स्नातक प्रथम वर्ष में 20 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गईं। वर्ष 2017-18 में निजी क्षेत्र में 130 निजी महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

73. राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के चरणबद्ध विकास हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 88 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया।

74. विशेष योग्यजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में लगभग 63 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए 3 हजार 985 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। विधवा पेंशन योजना के तहत एक जुलाई, 2017 से 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की विधवा को देय पेंशन राशि 500 रुपये से बढ़ा कर एक हजार रुपये तथा 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा को देय पेंशन राशि 750 रुपये से बढ़ाकर एक हजार 500 रुपये प्रतिमाह दी जा रही है।

75. पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों में 9 लाख 43 हजार विशेष योग्यजनों का पंजीयन कर एक लाख 98 हजार निःशक्तता प्रमाण-पत्र तथा एक लाख 44 हजार यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी किये गये हैं। अभियान के दौरान 6 हजार से अधिक उपकरण वितरित किये गये हैं।

76. राजस्थान के पेंशन पोर्टल को देशभर में बेस्ट ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट का अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस पेंशन पोर्टल को भारत सरकार द्वारा भी पुरस्कृत किया जा चुका है।

77. पालनहार योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया एवं 168 करोड़ रुपये व्यय कर 2 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।

78. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में दिसम्बर तक 348 करोड़ 36 लाख रुपये व्यय कर अनुसूचित जाति, जनजाति

एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 लाख 31 हजार छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

79. देवनारायण योजना में विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं एवं पूर्व संचालित विकास कार्यों पर वर्ष 2017-18 के लिए 153 करोड़ 53 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

80. देवनारायण योजना में विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में वर्ष 2017-18 में 54 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है तथा 52 करोड़ 86 लाख रुपये व्यय कर 25 हजार 493 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

81. मुख्य मंत्री राजश्री योजना के तहत 1 जून, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक लगभग 8 लाख 13 हजार बालिकाओं को जोड़ा जा चुका है।

82. राज्य को भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

माननीय सदस्यगण !

83. वर्तमान में 304 परियोजनाएं और 61 हजार 27 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 6 माह से 3 वर्ष के 17 लाख 54 हजार 415 बच्चे, 3-6 वर्ष के 9 लाख 59 हजार 647 बच्चें, 8 लाख 66 हजार 794 गर्भवती अथवा धात्री व 95 हजार 213 किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही 3-6 वर्ष के 9 लाख 67 हजार 701 बच्चें शाला पूर्व शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं।

84. नन्द घर योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों को आधुनिक बनाने व सामुदायिक सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए अब तक 4 हजार 318 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं मरम्मत व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य किये जा रहे हैं।

85. गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना सम्पूर्ण राज्य में 1 जनवरी, 2017 से लागू की गयी है।

86. वर्ष 2016-17 में 24 हजार 588 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत लगभग 17 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकतृ किये गये तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को 10 करोड़ 74 लाख रुपये सम्बन्धित विद्यार्थियों के बैंक खातों में डी.बी.टी. योजना से सीधे ही हस्तान्तरित किये गये हैं।

87. बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 की अवधि में 50 करोड़ रुपये के 561 निर्माण कार्य अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में स्वीकृत किये गये हैं।

88. खरीफ संवत 2073 में सूखे से प्रभावित 13 जिलों के 5 हजार 656 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित कर राहत गतिविधियों का संचालन किया गया। पशु संरक्षण गतिविधियों में एक हजार 193 पंजीकृत गौशालाओं के 4 लाख 33 हजार से अधिक पशुओं के लिए राहत सहायता स्वीकृत की गई। पशु संरक्षण गतिविधियों हेतु 134 कराड़े रुपये एवं कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु 953 करोड़ रुपये क राशि आवंटित की गई है।

89. रबी संवत् 2073 में राज्य में हुई ओलावृष्टि के कारण 4 जिलों के 57 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु 11 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। खरीफ फसल 2017 (सवंत् 2074) में बाढ़ से फसलों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर राज्य के 5 जिलों के एक हजार 7 4 6 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे से फसलों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर राज्य के 13 जिलों के 4 हजार 151 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

90. वर्ष 2017 में राज्य के 7 जिलों में बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के एक हजार 805 कार्यों के लिए 62 करोड़ 23 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

91. केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक 11 हजार 747 करोड़ रुपये से अधिक के अल्पकालीन तथा 454

करोड़ 43 लाख रुपये के मध्यकालीन ऋण वितरित किये गये हैं। वर्ष 2017-18 में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दिसम्बर, 2017 तक 179 करोड़ 48 लाख रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये हैं।

92. वर्ष 2017-18 में 416 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत से राज्य के 16 चयनित जिलों में समग्र सहकारी विकास परियोजना का संचालन किया जा रहा है।

93. वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक राजफैड द्वारा 46 हजार 492 मै. टन डीएपी, एक लाख 32 हजार 65 मैं. टन यूरिया, 20 हजार मैं. टन एसएसपी, खाद 21 हजार 565 मैं. टन जिप्सम् तथा 3 हजार 229 मैं. टन बीज का वितरण किया गया है तथा 9 हजार 151 मैं. टन पशु आहार का उत्पादन किया गया है। राजफैड द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद के तहत एक लाख 63 हजार 890 काश्तकारों को एक हजार 554 करोड़ रुपये राशि का भुगतान किया गया।

94. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2017 में सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपये एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया है। नैफ्सकॉब द्वारा 11 जुलाई, 2017 को अलवर जिले की बहाला ग्राम सेवा सहकारी समिति को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

95. सहकारी बैंकों के एक लाख से अधिक ऋणी सदस्यों एवं खाता धारकों को भामाशाह को-ब्राण्डेड रुपे कार्ड तथा 10 लाख 22 हजार 677 के.सी.सी. धारकों को रुपे किसान कार्ड जारी किये गये।

96. किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी सदस्यों को 6 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गयी है।

माननीय सदस्यगण !

97. राज्य सरकार ने प्रदेश में पशुपालकों के हितार्थ एवं पशुधन विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किये जाने के लिए सशक्त कदम उठाये हैं। पशुधन की अकाल मृत्यु से हुए नुकसान की सुरक्षा हेतु किसानों तथा पशुपालकों के लिए भामाशाह पशु बीमा

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक 59 हजार 620 कैटल यूनिट के बीमा पर 4 करोड़ 91 लाख रुपये की प्रीमियम अनुदान राशि व्यय की गई।

98. पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा हेतु वर्ष 2017-18 में 129 प्रकार की औषधियां उपलब्ध करवायी गयी तथा दिसम्बर, 2017 तक लगभग 37 करोड़ राशि व्यय कर 74 लाख 97 हजार पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।

99. राजस्थान में ऊंट संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रारम्भ की गई ऊष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उत्पन्न नर एवं मादा बच्चे (टोडियो) की आयु अनुसार ऊंट पालकों को कुल तीन किश्तों में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

100. वर्ष 2017-18 में खोले जाने वाले एक हजार 500 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों में से एक हजार 153 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा शेष 347 की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

101. गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन निधि योजना के अन्तगर्त अब तक एक हजार 160 पात्र गौशालाओं एवं कांजी हाऊसों को 142 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई।

102. राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन लिमिटडे एवं इससे सम्बद्ध 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा वर्ष 2017-18 में नवम्बर, 2017 तक औसतन 24 लाख 93 हजार किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलित कर औसतन 20 लाख 56 हजार लीटर प्रतिदिन दुग्ध वितरण किया गया। राज्य के दुग्ध उत्पादकों को लगभग 2 हजार 123 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।

103. राज सरस सुरक्षा कवच बीमा याजेना के प्रथम चरण में 2 लाख 44 हजार 650 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है।

104. राज्य सरकार द्वारा गत चार वर्षों में जल संसाधन परियोजनाओं पर 5 हजार 240 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। परवन एवं धौलपुर लिफ्ट परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

105. जायका के सहयोग से राज्य की महत्वपूर्ण जल संसाधन परियोजनाओं के पुनरूद्धार हेतु प्रथम चरण में एक हजार 69 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है।

106. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के प्रथम चरण के सिंचाई तंत्र में सुधार हेतु 3 हजार 291 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। परियोजना के द्वितीय चरण की 6 लिफ्ट योजनाओं में फव्वारा सिंचाई पद्धति स्थापित करने हेतु एक लाख 67 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है।

107. सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता की दिशा में प्रगतिरत परियोजनाएं क्रमशः चम्बल (कोटा), बीसलपुर (टांके), गंगनहर फेज प्रथम एवं द्वितीय (श्रीगंगानगर), सिद्धमुख तथा अमरसिंह जस्साना (हनुमानगढ़) एवं भाखडा नहर परियोजना (हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर) पर वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत 185 करोड़ रुपये के प्रावधान से एक लाख 9 हजार हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। में पक्का खाला निर्माण कार्य का लक्ष्य रखा गया है।

108. साथ ही चम्बल नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं नहरों के उचित संचालन एवं अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने हेतु वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत 25 करोड़ 73 लाख रुपये व्यय कर 23 कि.मी. लाईनिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण !

109. प्रदेश में गत 4 वर्षों में ग्रामीण विकास पर 48 हजार 600 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि व्यय की गई। महात्मा गांधी नरेगा योजना में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है।

110. राजस्थान को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन व उत्कृष्ट कन्वर्जेंस कार्यों के लिए Convergence and Livelihood Augmentation पारदर्शिता एवं हिसाबदेही के लिए Transparency and Accountability पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही कोटा जिले में Effective implementation of MGNREGA, टोंक जिले की ग्राम पंचायत

बगड़वा को Best Performing Gram Panchayat in implementation of MGNREGA तथा राजस्थान आजीविका मिशन को महात्मा गांधी नरेगा से कन्वर्जेंस कार्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कुल 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुये हैं।

111. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक 638 करोड़ 44 लाख रुपये व्यय कर ग्रामीण आधारभूत संरचना के 12 हजार 946 कार्य किये गये हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा योजना में इस वर्ष 38 लाख 86 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए 16 करोड़ 6 4 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। महात्मा गांधी नरेगा के कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जियो टेगिंग अनिवार्य की गई है। योजना के तहत 3 हजार 883 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

112. राजीविका परियोजना के अन्तर्गत 144 नवीन पंचायत समितियों में परियोजना का विस्तार कर 85 हजार 402 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 10 लाख ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया एवं 6 हजार 190 ग्राम संगठनों व 218 क्लस्टर लेवल फेडरेशनों का गठन किया गया है। अब तक एक हजार 143 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं एवं 27 हजार 625 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है।

113. राजीविका, IIT Mumbai एवं जिला प्रशासन डूंगरपुर द्वारा स्वयं सहायता समूह फेडरेशन के माध्यम से सोलर पैनल तैयार करने हेतु इकाई स्थापित की जा रही है। इस परियोजना के लिए जिला प्रशासन, डूंगरपुर को प्रधानमंत्री द्वारा “Prime Minister Excellency Award” से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा राजीविका द्वारा गठित पंचायत समिति झाड़ोल, उदयपुर के शर्मिला स्वयं सहायता समूह को पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

114. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास अनुदान राशि 70 हजार रुपये से बढ़ा कर एक लाख 49 हजार रुपये कर दी गयी है। वर्ष 2017-18 में 2 लाख 24 हजार आवास निर्माण के लक्ष्यों के विरुद्ध

विभिन्न आवासीय योजनाओं में एक लाख 68 हजार आवास पूर्ण कराये गये। अब तक विभिन्न आवास योजना में 6 हजार 181 करोड़ रुपये व्यय कर 10 लाख से अधिक आवास पूर्ण कराये गये।

115. मुख्य मन्त्री जन आवास योजना-2015 के तहत विभिन्न अनुमोदित योजनाओं में केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के आवंटियों को एक लाख 50 हजार रुपये तथा अल्प आय वर्ग के आवंटियों को आवास ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अब तक एक लाख 29 हजार 114 आवास स्वीकृत किये गये हैं।

116. रियल एस्टेट रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट एक्ट (रेरा)-2016, मई 2017 से लागू किया गया है। रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी द्वारा 606 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स तथा 431 रियल एस्टेट एजेन्ट्स का पंजीकरण किया जा चुका है। इस अधिनियम के लागू होने से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के खरीददारों को पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध हो रही है।

117. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा द्रव्यवती नदी के पुनरुद्धार का कार्य एक हजार 676 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। यह कार्य अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

118. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन एवं नियमन शिविरों का आयोजन कर पृथ्वीराज नगर याजेना में 31 हजार 450 से अधिक पट्टे जारी कर आमजन को राहत प्रदान की गयी है।

119. आम नागरिको को सस्ती एवं रियायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता का पौष्टिक नाष्ता एवं भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 15 दिसम्बर, 2016 से अन्नपूर्णा रसोई योजना प्रारम्भ कर 109 नगरीय निकायों में 286 स्मार्ट रसोई वैन्स के माध्यम से 2 लाख व्यक्तियों को प्रतिदिन पोष्टिक नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना का राज्य की समस्त 191 नगर निकायों में विस्तार किया जायेगा।

120. राज्य में वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्वि हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 38 हजार 259 हैक्टेयर क्षेत्र में लगभग

एक करोड़ 45 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है एवं शहरी वनीकरण के अन्तर्गत एक हजार 227 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के कार्य कराये गये हैं।

121. बीकानेर जिले में बीछवाल में 36 करोड़ रुपये की लागत से मरूधरा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जा रही है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के समीप 4 करोड़ रुपये की लागत से 36 हैक्टेयर क्षत्रे में एक लॉयन सफारी का सृजन किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण !

122. राजस्थान के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक विजेताओं को सीधे राजकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रदान करने हेतु नये नियम 3 जुलाई, 2017 को जारी किये गये हैं।

123. एम.बी.सी. वर्ग को राज्य सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु एक प्रतिशत के आरक्षण हेतु अधिसूचना 21 दिसम्बर, 2017 को जारी कर दी गयी है।

124. राज्य में 31 दिसम्बर 2017 तक वैट में पंजीकृत करदाताओं में से 93 प्रतिशत से अधिक ने जीएसटी में प्राइमरी एनरोलमेंट एवं 81 प्रतिशत से अधिक ने सैकण्डरी एनरोलमेंट करवा लिया है। इस अवधि तक राज्य में जीएसटी के अन्तर्गत लगभग एक लाख 70 हजार नये करदाताओं को भी पंजीकृत किया गया है।

125. राज्य में जीएसटी के सहज क्रियान्वयन व व्यापारियों तथा हितधारकों की सुविधा के लिये तहसील स्तर तक लगभग एक हजार से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की गई। इनमें एक लाख 50 हजार से अधिक लोगों की सहभागिता रही।

126. वर्ष 2017-18 में विभिन्न नागरिक केंद्रित परियोजनाओं पर कार्य करने के साथ स्टार्टअप्स के लिये अनेक नये प्लटेफार्म एवं परियोजनायें लागू गई हैं।

127. कम्प्यूटर सोसाईटी ऑफ इण्डिया द्वारा जनवरी 2018 में कोलकाता में राजस्थान को ''बेस्ट ई-गवर्नेंस स्टेट इन इण्डिया'' का पुरस्कार प्रदान किया गया।

128. राज्य सरकार की भामाशाह योजना, अभय कमाण्ड सेन्टर व भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को Digital India Summit Award 2017 प्राप्त हुआ है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ई-मित्र, राजधारा व अभय कमाण्ड सेन्टर को Skoch Smart eGovernance Award 2017 (Platinim) से तथा Rajasthan Accountablity Assurance System (RAAS), CM Dashboard, राजस्थान सम्पर्क, Raj eVault व Single Window Clearance को Skoch Smart eGovernance Award 2017 (Gold) से पुरस्कृत किया गया है।

129. जन समस्या निवारण की सुविधा को और सरल बनाते हुये '181' सेवा शुरू की गयी है।

130. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अब तक लगभग 17 लाख 17 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

131. राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में 28 दिसम्बर, 2017 को संशोधन किया गया। इससे आपातकाल के दौरान राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से मीसा एवं डी.आई.आर. के तहत निरुद्ध रहे व पेंशन योजना से वंचित व्यक्ति भी पेंशन योजना में शामिल हो सकेंगे।

132. राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 का नाम परिवर्तित कर राजस्थान लोकतंत्र सैनानी सम्मान निधि नियम, 2008 किया गया है।

133. आपातकाल के दौरान राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से मीसा एवं डी.आई.आर. के तहत निरुद्ध रहे पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्ति लोकतंत्र सेनानी कहलायेंगे।

134. हवाई सेवा विस्तार हेतु रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत वर्ष 2017-18 में दिल्ली-बीकानेर-दिल्ली, जयपुर-जैसलमेर-जयपुर तथा जयपुर-आगरा- जयपुर की हवाई सेवा प्रारम्भ करवाई जा चुकी है। इस स्कीम के तहत द्वितीय चरण में बाड़मेर, कोटा एवं किशनगढ़ के लिए भी हवाई सेवा प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

135. सवाईमाधोपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, आबूरोड़ तथा भीलवाड़ा स्थित

हवाई पट्टियों के विकास एवं विस्तार की योजना भी अनुमोदित की जा चुकी है।

136. राष्ट्रीय राजमार्गों को हवाई पट्टियों के रूप में उपयोग करने हेतु विभिन्न स्थलों का चयन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम धौलपुर में एनएच-18 को चिन्हित कर 30 करोड़ रुपये की राशि से नवीन हवाई पट्टी का निर्माण करवाया जा रहा है।

137. पर्यटन को बढ़ावा देने की दिषा में राज्य में इन्ट्रास्टेट हवाई सेवा प्रारम्भ करवाई गई है। इस सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में जयपुर-जोधपुर-जयपुर, जयपुर-उदयपुर-जयपुर, जयपुर-बीकानेर-जयपुर, जयपुर-कोटा-जयपुर, अहमदाबाद-जोधपुर-जैसलमेर, जोधपुर-अहमदाबाद तथा उदयपुर-जोधपुर-किशनगढ़- जोधपुर-उदयपुर हवाई सेवा संचालित हो रही है।

माननीय सदस्यगण !

138. पर्यटन की दृष्टि से विश्वविख्यात राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। गत चार वर्षों में प्रदेश में 16 करोड़ से अधिक देशी-विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है।

139. पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य को 27 सितम्बर, 2017 को माननीय राष्ट्रपति महादेय द्वारा पर्यटन के व्यापक विकास के लिये सर्वश्रेष्ठ राज्य का द्वितीय पुरस्कार तथा राजस्थान पर प्रोमोशनल फिल्म्स के लिये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया।

140. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रमुख मंदिरों एवं तीर्थ स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य करवाने हेतु 377 करोड़ 59 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

141. प्रदेश के प्रमुख 6 धार्मिक तीर्थ स्थलों यथा खाटू श्यामजी, डिग्गी कल्याणजी, पुष्कर, मेहन्दीपुर बालाजी, रूपनारायण सेवंत्री-राजसमंद एवं मातृकुण्डिया-चितौड़गढ़ को शहरों एवं कस्बों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिये सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु 165 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

142. वर्ष 2017 में दीन दयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक हवाई जहाज से 650 एवं रेल द्वारा 6 हजार 902 सहित कुल 7 हजार 552 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा पर भेजा जा चुका है।

143. राज्य में 9 करोड़ रुपये से बूढ़ा पुष्कर सरोवर में वर्षा का जल लाने हेतु फीडर निर्माण कार्य, 3 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत से लोक पूज्य बाबा रामदेवजी पेनोरमा तथा 3 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से श्री करणी माता पेनोरमा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

144. ग्राम धानक्या जिला-जयपुर में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण 7 करोड़ 50 लाख रुपये का तथा गोविंद गुरू की स्मृति में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मानगढ़ जिला-बासंवाड़ा में 12 करोड़ 37 लाख रुपये का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

145. राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग, बीकानेर राजपूताना की भूतपूर्व रियासतों के एक करोड़ ऐतिहासिक व प्रशासनिक अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर 80 लाख से अधिक अभिलेखों को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कर देश का अग्रणी डिजिटल अभिलेखगार बन गया है। भूतपूर्व रियासतों के 34 लाख ऐतिहासिक व रेवेन्यू अभिलेखों की माईक्रोफिल्मिंग तथा प्रदेष के "220 स्वतंत्रता सेनानियों की सचित्र दीर्घा" का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

146. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में उपलब्ध कुल एक लाख 24 हजार हस्तलिखित ग्रन्थों में से एक लाख 15 हजार ग्रन्थों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। इनको ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

147. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक द्वारा ऐतिहासिक दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों पुस्तकों एवं शराशरीफ के रिकार्ड के डिजिटाइजेशन कराने के लिये 24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

148. राजस्थान पुलिस के प्रभावी प्रबंधन एवं अपराधों की चुनौतियों से निपटने की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप प्रदेश में अपराध एवं कानून-

व्यवस्था की स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में रही तथा साम्प्रदायिक सौहार्द भी कायम रहा। इसके कारण भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज कुल अपराधों में वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में 5.8 प्रतिशत की कमी आई है। वाद रहित एवं अपराध मुक्त गांवों के प्रोत्साहन हेतु योजना में पुलिस के प्रयासों से 2 हजार 234 ग्राम अपराध मुक्त हो गये हैं।

149. प्रदेश में अपराध नियत्रंण एवं काननू-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस को अधिक प्रभावी, दक्ष तथा पेशेवर बनाने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

150. राज्य सरकार द्वारा 16 मार्च, 2017 को जयपुर, कोटा एवं उदयपुर में अभय कमाण्ड व कन्ट्रोल सेन्टर का शुभारम्भ कर असामाजिक तत्वों पर गहन निगरानी रखी जा रही है। सभी संभागीय मुख्यालयों पर यह सेंटर खोले जा रहे हैं।

151. जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने हेतु "Rajcop Citizen" Mobile app को रिलॉन्च किया गया है। इसमें मुझे सहायता चाहिये, डायल 100, महिला हेल्प लाईन, अपराध की सूचना, किरायेदार व घरेलू नौकर का चरित्र सत्यापन, वाहन की खोज एवं अभियोग की प्रगति की जानकारी आमजन को उपलब्ध करायी जा रही है।

152. वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को पारदर्शिता के साथ केशलैस मेडिक्लेम बीमा सुविधा से लाभांवित करने के लिए बीमा कम्पनी का चयन कर लिया गया है।

153. राज्य सरकार द्वारा 235 पुराने एवं अनुपयोगी अधिनियमों को निरसित किया गया है।

माननीय सदस्यगण !

154. इस सत्र में निम्नांकित विधायी कार्य के साथ-साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य सम्पादन हेतु आपके समक्ष विचारार्थ रखे जायेगें:-

1. राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018
2. राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य

के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों विधेयक, 2018 का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018

155. मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों में अपना सार्थक योगदान देते रहेंगे।

156. आइए ! हम सब पूर्ण निष्ठा और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रदेशवासियों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करें एवं प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास के सहभागी बनें।

जय हिन्द
